न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— आनन्दी लाल वैष्णव
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
26 / 2016 / प्रा.पत्र / 2016	23.02.2016	17.10.2019

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.... प्रार्थी

वनाम

1. दूध विकेता श्री रामेश्वर जाट पुत्र श्री रामलाल जाट जाति जाट निवासी मोहम्मदपुरा,नयागांव तहसील व जिला टोक राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) व (v)एवं दण्डनीय धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

1—प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2—अप्रार्थी उपस्थित

:—निर्णय—: **दिनांक 17.10.2019**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.02. 2018 को समय 12 ए.एम. पर दौराने ए गस्त दरवार स्कूल के पास सुभाष बाजार टोंक पर पंहुचा वहा पर घण्टाघर की तरफ से सुभाष बाजार की तरफ एक टेम्पो आर. जे. 26 पी.ए. 0099 पर श्री रामेश्वर जाट पुत्र श्री रामलाल जाट जाति जाट निवासी मोहम्मदपुरा,नयागांव तहसील व जिला टोक राज0 वास्ते दूध विक्रय करता आ रहा था को दरवार स्कूल के सामने रूकवाकर अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर दूध का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगने पर नही होना स्वीकार किया ।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु अपने टेम्पो मे 40—40 लीटर क्षमता के 4 केन मे मिश्रित दूध रखा था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. दूध विकता श्री रामेश्वर जाट को गवाह के सामने फार्म नं: 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता रामेश्वर जाट एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दूध विकता से मिश्रित दूध में से **2 लीटर दूध** वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत दूध विकता श्री सत्यनारायण जाट को रू0 80/—अक्षरे अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **2 लीटर दूध** के चार भाग कर बराबर—बराबर तैयार कर प्रत्येक भाग को साफ एवं सूखी कॉच की चार शिशियों में प्रत्येक शिशी में बराबर—बराबर भरकर प्रत्येक शीशी में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 40—40 बूंदे डालकर प्रत्येक शीशी को ढक्कन से अच्छी तरह एयरटाईट कर बन्द कर व लेवल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I—1866 दर्ज किया। प्रत्येक लेवल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विकेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1866 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर दूध विकता श्री रामेश्वर जाट के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील वन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./18/863 दिनांक 26.03.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/103/एक्ट/2018/109 दिनांक 16.03.2018 अनुसार रामेश्वर जाट से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **दूध** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **दूध** का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)की उप धारा (ii) व (v) एंव दण्डनीय धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने वहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **दूध** का विकय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **दूध** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii) व (v)एंव दण्डनीय धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री रामेश्वर जाट पुत्र श्री रामलाल जाट जाति जाट निवासी मोहम्मदपुरा,नयागांव तहसील व जिला टोंक राज0पर शास्ती 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संवंधित मद में निर्णय दिनांक 17.10.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(आनन्दी लाल वैष्णव)
न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Scanned by CamScanner